



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1110]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929

No. 1110]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007/BHADRA 22, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2007

का.आ. 1539(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम और नियमों के अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और केंद्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल और मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण कार्यों के लिए सरकारी विश्लेषणकर्ता के रूप में निम्न तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अर्ध के लिए मान्यता प्रदान करती है, और उस प्रयोजनार्थ, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना का.आ. 1174(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः :-

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में क्रम सं. 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, नामशः :-

तालिका

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
49.	मैसर्स पदम्जा एयरोबायोलॉजिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड 'नंदन' प्लॉट सं. 36, सेक्टर-24, बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, तुरभे, नवी मुंबई-400 705	(1) डॉ नंदकिशोर त्रिविक्रम जोशी (2) श्री आर. बी. चौधरी (3) श्री संदीप एच. मुम्बईकर	13-9-2007 से 12-9-2012
50.	मैसर्स शिवा टेस्ट हाऊस, 6डी, एक्सटेंशन (चैटर्जी लेन) गदांनी बाग, पटना-800 001	(1) डॉ एस. प्रसाद (2) श्रीमती श्रेयली (3) श्रीमती स्मृति	13-9-2007 से 12-9-2012
51.	मैसर्स सैन एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 424-मेडिसन मार्केट, शेफाली सेन्टर के सामने, पल्डी क्रॉस रोड, अहमदाबाद-380 005 (गुजरात)	(1) श्री महेन्द्र आर. सदायिया (2) श्री मुक्ता के. भट्टाचार्य (3) श्री भूपेन्द्र के. सोनी	13-9-2007 से 12-9-2012"

[ का. सं. ब्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू ]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।